

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

ऋण

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
झारखण्ड, राँची।  
द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-09/05/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय अंतर्गत खान पर्षद, हजारीबाग से समायोजित सेवानिवृत्त कुल 72 कर्मियों के सेवानिवृत्तिक लाभ एवं बकाया वेतन के भुगतान हेतु 02 नगर परिषदों, यथा-फुसरो एवं रामगढ़ नगर परिषद द्वारा अधियाचित राशि कुल रु० 4,45,69,637/- के आलोक में कुल आवंटित राशि रु० 3,74,94,255/- के पश्चात् उपबंधित बजट से ऋण के रूप में कुल राशि रु० 40,43,075/- (चालीस लाख तैंतालीस हजार पचहत्तर रुपये) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय अंतर्गत खान पर्षद, हजारीबाग से समायोजित सेवानिवृत्त कुल 72 कर्मियों के सेवानिवृत्तिक लाभ एवं बकाया वेतन के भुगतान हेतु 02 नगर परिषदों, यथा-फुसरो एवं रामगढ़ नगर परिषद द्वारा अधियाचित राशि कुल रु० 4,45,69,637/- के आलोक में कुल आवंटित राशि रु० 3,74,94,255/- के पश्चात् उपबंधित बजट से ऋण के रूप में कुल राशि रु० 40,43,075/- (चालीस लाख तैंतालीस हजार पचहत्तर रुपये) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र.	नगर परिषद का नाम	सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या	अध्याचित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	ऋण के रूप में आवंटित राशि	कोषागार/उप कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	फुसरो	41	254,95,795	2,14,48,365	23,12,817	तेनुघाट	कार्यपालक पदाधिकारी
2	रामगढ़	31	19073,842	1,60,45,890	17,30,258	रामगढ़	
कुल		72	44,569,637	3,74,94,255	40,43,075	(चालीस लाख तैंतालीस हजार पचहत्तर रुपये)	

- स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं आवास विभाग के मांग संख्या-48 के अधीन स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य शहरी विकास योजनाएँ-लघुशीर्ष-192-नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को कर्ज-उपशीर्ष-03-नगर परिषद/नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम-(विपत्र कोड-48S621760192030763) अंतर्गत उपबंधित राशि 1243.75 लाख रु० से की जायेगी।
- स्वीकृत ऋण राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित नगर परिषदों के नाम के सम्मुख स्तंभ viii में अंकित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ vii में अंकित कोषागार/उप कोषागार से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत की जायेगी।
- विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-


क्र०	नगर परिषद/नगरपालिका का नाम	स्वी०संख्या/ दिनांक	निकासी की गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
1	फुसरो नगर परिषद	351/06.03.17	2,09,698	2,09,698
2	रामगढ़ नगर परिषद		राशि आवंटित नहीं।	

- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य के संचित निधि से राशि की निकासी के उपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं के अनुसार राशि को निकाय कोष में संधारित करने के पश्चात् ही नियमानुसार व्यय करेंगे।

6. उक्त राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-2223 दि०-09.09.09 एवं 1591 दि०-16.05.11 में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वीकृति किया जाना है। नियमानुसार निकायकर्मियों के पंचम/छठे वेतन का निर्धारण निकाय स्तर से किये जाने के पश्चात् निर्धारित वेतन एवं सेवापुस्त का सत्यापन वित्त विभागीय नियम के आलोक में संबंधित जिला लेखा पदाधिकारी के स्तर से कराने के उपरांत ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
7. संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकायकर्मियों को पंचम/छठे वेतनमान पर भुगतान से पूर्व यह आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित निकायकर्मियों को वित्त विभाग के नियमानुसार वेतन का निर्धारण किया गया है एवं निर्धारित वेतन का सक्षम स्तर से सत्यापन कराये जाने की जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी की होगी। अनुमान्यता से अधिक वेतन प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अतिरिक्त वेतन का सामंजन कराये जाने की जिम्मेवारी भी संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।
8. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवानिवृत्तिक लाभ एवं निर्धारित वेतन की नियमानुसार जाँच कर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
9. स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान निकाय के वैसे कर्मचारियों को किया जायेगा, जो स्वीकृत पद के विरुद्ध सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिनांक-15.11.2000 को निकाय के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। आवंटित राशि का भुगतान निकाय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
10. स्वीकृत ऋण की अदायगी राशि की निकासी की तिथि से पाँच वर्ष बाद 20 समान किस्तों में की जायेगी। स्वीकृत ऋण पर 13% की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान राशि के निकासी के एक वर्ष बाद से संबंधित निकाय द्वारा नियमानुसार सरकार को समय-समय पर किया जायेगा। ऋण वसूली की शर्तें भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तनीय होगी।
11. संबंधित नगर परिषद के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत ऋण की राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे।
12. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. राशि के आवंटन विषयक प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अतः महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से ऋण राशि का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करते हुए प्राधिकार पत्र की एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जाय।


विश्वासभाजन

  
(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था०/न०वि०/118/2009(छाया संचिका-III)-..... 22 राँची, दिनांक-09/05/18

प्रतिलिपि-माननीय (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, हजारीबाग/उपायुक्त, बोकारो एवं रामगढ़/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/उपकोषागार/अध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी, फुसरो एवं रामगढ़ नगर परिषद/श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT Specialist)/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर मुख्य सचिव।